

अनुदान संख्या 69 - पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 69-MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	4780,50,00		
पूरक	Supplementary	75,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			787,42,59
		4781,25,00	3993,14,70	-788,10,30

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (78810.30 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 75.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (Rs.78810.30 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.75.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 16 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services			
मू.	O.	850.00		
पू.	S.	73.00	818.41	818.93
पु.	R.	-104.59		+0.52
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programme			
मू.	O.	9100.00		
पू.	S.	2.00	9588.00	9519.82
पु.	R.	486.00		-68.18

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	1100.00
पु.	R.	-1100.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	467000.00	388976.00	388975.95
पु.	R.	-78024.00		-0.05

(I) 3700.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3400.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज - क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता और जिला योजना समितियों एवं जिला परिषदों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण" - 2500.00 लाख रु.; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज" -

(क) "क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता और जिला योजना समितियों एवं जिला परिषदों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण" - 250.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय के वर्तमान अनुदेशों की वजह से स्कीम लागू न किए जाने कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.3700.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.3400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Technical Support for Capacity Building and Training of Functionaries of District Planning Committees and Zila Parishads" - Rs.2500.00 lakhs; and

(B) Major Head "2552" - "Other Rural Development Programmes - Panchayati Raj" -

(a) "Technical Support for Capacity Building and Training of Functionaries of District Planning Committees and Zila Parishads" - Rs.250.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-implementation of the scheme owing to extant instructions of the Ministry of Finance.

(ख) “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना” - 650.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - पंचायती राज मंत्रालय” के अंतर्गत 850.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 73.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 923.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 104.07 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम विदेशी दौरें किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3601” - “राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज - पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान” के अंतर्गत 78024.05 लाख रु. की बचत (467000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्यक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2962.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2515” - “पंचायती राज” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना” - 1834.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1849.94 लाख रु. था।

(II) “प्रचार माध्यम और प्रचार” - 1030.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1010.86 लाख रु. था।

(III) “कार्रवाई अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन” - 98.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 97.77 लाख रु. था।

(b) “Rashtriya Gram Swaraj Yojana” – Rs.650.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat – Ministry of Panchayati Raj” – the original provision of Rs.850.00 lakhs was augmented to Rs.923.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.73.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.104.07 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, less foreign tour and economy measures.

(III) Under Major Head “3601” – “Grants for State Plan Schemes- Other Rural Development Programmes- Panchayati Raj – Grants for Backward Regions” – saving of Rs.78024.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.467000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of viable proposals from State Governments.

2. The above savings were partly (Rs.2962.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under Major Head “2515” – “Panchayati Raj” – under the following heads:-

(I) “Rashtriya Gram Swaraj Yojana” – Rs.1834.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1849.94 lakhs.

(II) “Media & Publicity” – Rs.1030.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1010.86 lakhs.

(III) “Action Research and Research Studies” – Rs.98.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.97.77 lakhs.